न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 63/2016 (उदयपुर डिक्री)

लक्ष्मीलाल पिता भंवरलाल जी जणवा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. तुलसीराम पिता भंवरलाल जी जणवा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल मुतबना रूपा जी जणवा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवा पिता उदा जी गाडरी, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. हरलाल पिता उदा जी गाडरी, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, वल्लभनगर, जिला, उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 13.05.2016 प्र. सं. 152/14

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरेश जणवा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री संजय सेन अभि॰ रस्पोन्डेन्ट सं. 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

–––:::–––

निर्णय दिनांक

29–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नवानिया में परिशिष्ठ ''क'' अंकित आराजी नंबर 814 मी. रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 क नाम 1/2 हिस्सा व देवा हरलाल पिता उदा मुसमात वरजू बेवा उदा नाबालिक बविलायात हरलाल वाला वरजू बेवा उदा गाडरी के नाम 1/2 हिस्सा से दर्ज है। वरजू की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस देवा व हरलाल हैं। परिशिष्ठ ''क'' की कुल किता 12 रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि मौरूसी होने के कारण वादी का भी हक हिस्सा होकर संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है। वादी का उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियात में 1/3, 1/3 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13–05–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–07–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय सेन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 10–07–2016 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई

विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि राजस्व कैम्प में अपीलान्ट के उपस्थिति होने की कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों के वाद डिक्री किया है तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी एवं प्रकरण में दिनांक 05–07–2016 की पेशी नियत थी, किन्तु इसके पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13–05–2016 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्य योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सनुवाई का विधिवत अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीग अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

श्रीमती पेमली पुत्री रूपा जी पत्नी जी रावत, <u>बनाम</u> श्रीमती मथरी पत्नी देवा
हरजी, निवासी रामा का खेड़ा, त0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य
निवासी चिरोला मासिंगपुरा, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर

अपील नं.......09/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........वल्लभनगर.......... मुकाम................मुवर्खे.............09.............माह..............
12............2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........23....माह........07.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी..श्री नरेश जणवा..मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री सुखलाल मेघवाल/हुक्मीचन्द सांगावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन हाने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–12–2015 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........23......माह.......07...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये

दिलाया गया हो।